



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1445/MH/6/2023-ESDW

दिनांक: 23.03.2023

सेवा में,

श्री गंगाधरन डी,
कलेक्टर & जिला मैजिस्ट्रेट,
जिला-नाशिक,
कलेक्टर कार्यालय, पुराना आगरा रोड,
नाशिक - 422 002, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.nashik@maharashtra.gov.in

डॉ. राजेंद्र भारुड़,
जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
28, क्रीस गार्डन, बंड गार्डन रोड,
ओल्ड सर्किट हाउस के पास,
कैम्प, पुणे, महाराष्ट्र 411001
ईमेल: trti.mah@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिटेल आउटलेट पेट्रोल पम्प को गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को देने के संबंध में श्री दादाजी नाना सोनवणे, निवासी-दहीवाल, तहसील-मालेगाव, जिला-नाशिक, महाराष्ट्र का दिनांक 25.02.2023 का अर्थावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री दादाजी नाना सोनवणे से दिनांक 25.02.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 03 दिनों के भीतर अर्थावेदन/हस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री दादाजी नाना सोनवणे,
निवासी-दहीवाल,
तहसील-मालेगाव,
जिला-नाशिक, महाराष्ट्र

0/c
जारी किया
ISSUED

(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी)

4042-44
24/3/23